102

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2174–दो/2012 विरूद्ध आदेश 06–06–2012 – पारित – व्दारा – तहसीलदार, अशोकनगर – प्रकरण कमांक 42 अ–27/2011–12

श्रीमती कुसुम मिश्रा पत्नि स्व.जगदीश प्रसाद मिश्रा
निवासी बार्ड कमांक 20 पटैल मार्ग, अशोकनगर ---आवेदिका

विरूद्ध

1– रामकृष्ण पुत्र प्रभूदयाल ब्राहमण
2– राजेश पुत्र बालकृष्ण मिश्रा
निवासी बार्ड कमांक 20
पटैल मार्ग, अशोकनगर ---अनावेदकगण

(आवेदिका की ओर से अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी)
(अनावेदक –1 के अभिभाषक श्री बिनोद श्रीवास्तव)
(अनावेदक –2 सूचना उपरांत अनुपस्तित – एकक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 21 – 4 – 2016 को पारित)

तहसीलदार, अशोकनगर व्दारा प्रकरण कमांक 42 अ–27/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 6–6–12 के विरूद्ध यह निगरानी म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक कमांक–1 ने तहसीलदार अशोकनगर के समक्ष म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत संयुक्त खाते की भूमि के विभाजन किये जाने की मॉग की, जिस पर तहसीलदार अशोकनगर ने प्रकरण नम्बर 42 अ–27/2011–12 दर्ज किया। सुनवाई के दौरान आवेदिका ने बटवारा के दावे का जवाव प्रस्तुत किया एंव सहमति बटवारा दिनांक 17–12–2001 पर आपत्ति दर्ज कराई तथा बटवारा

प्रकरण की प्रचलनशीलता पर भी आपत्ति की। तहसीलदार ने हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर अंतरिम आदेश दिनांक 6-6-12 पारित किया तथा निर्णय लिया कि " **पारिवारिक बटवारा संपूर्ण अचल संपत्ति के सम्बन्ध में है इसमें से ऐसी भूमि पर जिस पर निर्माण है तथा खेती नहीं हो रही है के सम्बन्ध में बटवारा करने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है । शेष कृषि भूमि के सम्बन्ध में बटवारा कराया जा सकता है।**" इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक क-2 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ उपस्थित पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव तहसीलदार अशोकनगर के प्रकरण कमांक 42 अ-27/2011-12 के पृष्ठ 21 से 26 पर संलग्न पारिवारिक सहमतिनामा बटवारा के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इस सहमतिनामा बटवारा में वर्णित संपत्ति स्वर्गीय वालकृष्ण मिश्र एंव रामकृष्ण मिश्र के हिस्सा 1/2 की संपत्ति थी। वालकृष्ण मिश्र के स्वर्गवासी होने के वाद राजेश मिश्र एंव वालकृष्ण मिश्र के स्वर्गीय पुत्र की पत्नि श्रीमती कुमुस मिश्र के हिस्से में 1/2 संपत्ति आई है जिसके बटवारे हेतु रामकृष्ण पुत्र प्रभूदयाल ने तहसील में संहिता की धारा 178 का आवेदन बटवारे हेतु दिया है। आवेदिका ने बटवारा के दावे के जवाव में सहमति बटवारा दिनांक 17-12-2001 पर आपत्ति दर्ज कराई है। सहमति बटवारे में इस प्रकार अंकन है -

1. खेती की भूमि ग्राम शॅकरपुर एंव कस्वा अशोकनगर की लगभग 92-93 वीघा जमीन है जिसें निवास के पास का बगीचा भी सम्मिलित है जो पूर्व से ही सहखातेदारों के नाम है।
2. वर्तमान में बार्ड नं. 20 में एक मकान स्थित है जिसकी लम्बाई चौड़ाई इस दस्तावेज के साथ संलग्न नक्शे में दर्शाई है। यह मकान भी सहखाते के नाम नगरपालिका में अंकित है।
3. बार्ड क्र-20 में सहखातेदारों के नाम एक मकान और भी स्थित है जिसमें दो कमरे दहलान के बने हुये है।
4. बार्ड नं0 20 में ही बगीचे की भूमि लगभग साढ़े तीन बीघा है जिसमें

एक कुआ स्थित है उक्त भूमि को मौके के अनुसार निर्मित प्लाटों को विभाजित किया जाना है।

6. ग्राम अखाई कृष्ण की भूमि जो 1.254 है. है यह भूमि सर्वे क. 470 में है यह भी संयुक्त परिवार की नहीं है वर्तमान में उक्त भूमि स्वर्गीय बालकृष्णजी मिश्र के नाम से है।

उक्त सहमति बटवारे में रामकृष्ण मिश्र, श्रीमती कुसुम मिश्र, राजेश मिश्र के हस्ताक्षर हैं। इसी सहमति बटवारे पर बटवारे के दावे के उत्तर में आवेदिका ने इस प्रकार आपत्ति दर्ज कराई है :-

" आवेदक एंव अनावेदकजन कमांक 1 व 2 के मध्य दिनांक 17-12-2001 को सहमति बटवारा हो गया था नितांत असत्य है आवेदक व अनावेदकजन के मध्य कभी भी सहमति बटवारा नहीं हुआ है वरन आवेदक अनावेदिका जो कि विधवा महिला है को अपने हक से बंचित करने के लिये झूॅठा सहमति बटवारा बताकर उपरोक्त भूमियों का बटवारा कराना चाहता है। "

इसी आपत्ति तहसीलदार अशोकनगर ने अंतरिम आदेश दिनांक 6-6-12 पारित किया है तथा निर्णय लिया कि पारिवारिक बटवारा संपूर्ण अचल संपत्ति के सम्बन्ध में है इसमें से ऐसी भूमि पर जिस पर निर्माण है तथा खेती नहीं हो रही है के सम्बन्ध में बटवारा करने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है । शेष कृषि भूमि के सम्बन्ध में बटवारा कराया जा सकता है। जब आवेदिका व्दारा सहमति बटवारे पर असहमति व्यक्त कर हक (स्वत्व) वावत् आपत्ति दर्ज कराई है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 इस प्रकार है -

178 (1) यदि किसी खाते में जिस पर धारा 59 के अधीन कृषि के प्रयोजन के लिये निर्धारण किया गया हो, एक से अधिक भूमिस्वामी हों तो उनमें से कोई भी भूमिस्वामी उस खाते में के अपने अंश के विभाजन के लिये तहसीलदार को आवेदन कर सकेगा : " परन्तु यदि हक संबंधी कोई प्रश्न उठाया जाता है तो तहसीलदार अपने समक्ष की कार्यवाहियों को तीन मास की कालावधि तक के लिये रोक देगा, जिससे

कि हक संबंधी प्रश्न के अवधारण के लिये सिविल वाद संस्थित किया जाना सुकर हो जाए।''

परन्तु आवेदिका व्दारा हक वावत् की गई आपत्ति पर उसे व्यवहार न्यायालय जाने के लिये तीन माह का समय न देते हुये पारिवारिक बटवारा, जिसमें रहवासी मकान तक सम्मिलित है, के आधार पर आधारित बटवारे के दावे में अंकित कृषि भूमि का बटवारा करने का निर्णय लेने में तहसीलदार ने भूल की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 6-6-12 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार, अशोकनगर व्दारा प्रकरण क्रमांक 42 अ-27/ 2011-12 में पारित आदेश दिनांक 6-6-12 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निर्देश दिये जाते हैं कि आवेदिका को सिविल वाद संस्थित करने हेतु तीन माह का समय दिया जाय एंव तीन माह की अवधि में सिविल वाद दायर न होने के उपरांत कृषि भूमि मात्र का बटवारा आवेदन आने पर संहिता की धारा 178 में विहित प्रावधानों के अंतर्गत पक्षकारों को श्रवण कर बटवारे की कार्यवाही की जावे।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
म0प्र0ग्वालियर